उत्तराखण्ड वन विकास निगम

खडे वृक्षों के सार्वजनिक नीलाम/निविदा हेतु शर्त

खडे वृक्षों के विक्रय हेतु नीलाम/निविदा कार्यवाही "जहाँ है जैसा है" के आधार पर सम्पन्न होगी। 1.

नेक जमानत/गेट मनी/प्रवेश शुल्क :-

- (i) नीलाम/निविदा- नीलाम में भाग लेने हेतु इच्छुक क्रेता द्वारा नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क हेतु रूपया 11800.00 (दस हजार रूपये मात्र) (निविदा मूल्य का 2.5% या रूपया 11800.00 जो भी अधिक हो) का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर/राष्ट्रीय बचत पत्र जो सम्बन्धित प्रभागीय लोगिंग प्रबन्धक/प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक या प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पदनाम बंधक/निरूपित हो, जमा करना अनिवार्य है। नीलाम हेतु प्रवेश शुल्क नकद भी जमा की जा सकती है। जिसकी मूल धनप्राप्ति रसीद नीलाम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
- (ii) उच्चतम प्राप्त नीलाम/निविदा सम्बन्धी नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क, जो विक्रय मूल्य सम्बन्धी धनराशि देयको के विरुद्ध समायोजित हो सकेगी, को रोककर अन्य क्रेताओं की उक्त धनराशि यथाशीघ्र विलम्तम ३ (तीन) दिन के अन्दर वापस कर दी जायेगी या क्रेता के लिखित अनुरोध पर अन्य लौट के देयकों के विरुद्ध समायोजित की जा सकेगी।
- इच्छुक क्रेता द्वारा अपने नाम, पता आदि के प्रमाणन हेतु निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-3.
- (i) व्यापार कर खाता संख्या प्रमाण प्रमाण पत्र (ii) पैन कार्ड (iii) आधार कार्ड और (iV) राशन कार्ड/वोटर कार्ड/वाहन चालन अनुज्ञा एवं अन्य पहचान पत्र जो पहचान पत्र के रूप में मान्य हो, की स्व सत्यापित छायाप्रति।
- सम्बन्धित लौट की विक्रय सूची में लौट की स्थिति, वृक्षों का विवरण, कार्य अवधि अंकित है। इच्छुक क्रेता का चाहिए कि नीलाम/निविदा में भाग लेने से पूर्व लौट के वृक्षों का भली-भॉति निरीक्षण कर लें। यदि कोई भिन्नता हो तो क्रेता यथा स्थिति पुष्टि उपरान्त ही नीलाम/निविदा में भाग लेवें। नीलाम/निविदा स्वीकार होने के पश्चात् लाट की मात्रा-गुणवत्ता के सम्बन्ध में क्रेता का कोई प्रत्यावेदन/क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा/मान्य नहीं होगा और प्रथम दृष्टया ही अमान्य कर दिया जायेगा।
- (i) नीलाम में लाट की बोली स्वीकार होने के तुरन्त बाद उसी दिन क्रेता को उस लाट की कीमत का 10 प्रतिशत जमानत वन निगत के अधिकृत कर्मचारी के पास जमा करके रसीद लेनी होगी।
- (ii) निविदा की दशा में उच्चतम निविदा सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि से (सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि छोड़कर) ७ (सात दिन) के अन्दर लौट की कीमत का १० प्रतिशत जमानत करना अनिवार्य है।
- (iii) यदि क्रेता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत जमानत नहीं जमा की जाती है तो तत्सम्बन्धी जमा, नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क जब्त कर लिया जाएगा और लौट के विक्रय निस्तारण हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
- (iV) लौट का कार्य संतोषजनक निर्धारित प्रक्रियानुसार सम्पन्न किए जाने के उपरान्त ही जमा की वापसी/समायोजन होगा।
- नीलाम/निविदा प्रपत्र में यथानिर्दिष्ट क्रेता को हस्ताक्षर करने होंगे। 6.
- बिक्री का अनुमोदन वन निगम के समक्ष अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक/डिपो अधिकारी/प्रतिनिधि द्वारा इसकी सूचना क्रेता को पंजीकृत डाक/कोरियर के माध्यम से क्रेता के पते पर भेजी जायेगी। डाक में विलम्ब की जिम्मेदारी वन निगम की नहीं होगी।
- नीलाम/निविदा की तिथि से 30 (तीस दिन) के अन्दर (नीलाम/निविदा की तिथि छोड़कर) यदि लाट का अनुमोदन क्रेता को सूचित नहीं किया जाता है तो क्रे<mark>ता लाट</mark> क्रय करने के बाध्य नहीं होगा एवं जमा जमान<mark>त</mark> की वापसी/समायोजन हेत् क्रेता स्वतंत्र होगा।

(क्रमशः ०२ पर)



9. क्रेता को लाट का सम्पूर्ण विक्रय मूल्य, व्यापार कर, आयकर, मण्डी शुल्क (शासन द्वारा निर्धारित दरों पर) आदि देयक अनुमोदन सूचना जारी होने के (जारी तिथि छोड़कर) 20 दिन के भीतर जमा करना होगा। विशेष विक्रय मूल्य पर 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क के साथ अधिकतम 10 (दस दिन) दिनों की मियाद वृद्धि अनुमन्य होगी। मियाद वृद्धि, समुचित कारणों का उल्लेख करते हुये प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा दी जा सकेगी। यदि मियाद वृद्धि की अविध में भी समस्त देयक जमा नहीं किया जाता है तो लाट की बिक्री स्वतः निरस्त हो जायेगी और क्रेता की जमानत जब्त हो जायेगी और लौट का निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।

10. लौट का विक्रय मूल्य, व्यापार कर, आयकर, मण्डी शुल्क, स्टाम्प शुल्क आदि देयक सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक के पक्ष में बने ड्रापट/पे–आर्डर RTGS/NEFT/E-Payment द्वारा ही स्वीकार

होगा। सीमान्त समायोजन हेतु अधिकतम रू० ३०००/- नगद जमा हो सकते है।

11. समस्त देयकों की अदायगी हो जाने पर कार्यादेश प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा जारी किया जायेगा जो दस्ती/डाक द्वारा भेजा जाएगा। कार्यादेश जारी होने की तिथि के 10 दिन के अन्दर (जारी भेजने की तिथि छोड़कर) क्रेता को लौट में कार्य आरम्भ करना होगा। सूचित आरम्भ करने से 03 दिन पूर्व उसे वन निगम के सम्बन्धित अधिकारी (जिसका उल्लेख कार्यादेश में होगा) को लिखित रूप से सूचित करना होगा तथा वन निगम के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्य आरम्भ करना होगा।

2. लौट में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व क्रेता को रू० 100/- के स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध करना होगा।

नीलाम/निविदा शर्ते भी अनुबन्ध का भाग होगी।

13. यदि क्रेता कार्यादेश निर्गत होने के 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्य आरम्भ नहीं करता है तो लौट के विरुद्ध जमा विक्रय मूल्य आदि समस्त धनराशि सहित स्वतः जब्त हो जायेगी तथा लौट का निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।

14. क्रेता केवल चिन्हित वृक्षो का ही पातन/कटान करेगा। यदि किसी वृक्ष के विषय में सन्देह हो तो क्रेता उसके निराकरण हेतु वन निगम के सम्बन्धित इकाई अधिकारी को लिखित आवेदन करेगा। निराकरण होने के पश्चात् ही ऐसे वृक्ष का पातन/कटान करेगा। यदि क्रेता चिन्हित वृक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य वृक्ष का पातन/कटान करेगा तो उसे इसके लिए निर्धारित अर्थ दण्ड देना होगा। यदि लौट में कार्य के समय किसी भी समय यह ज्ञात होगा कि क्रेता द्वारा कही भी अवैध पातन/कटान किया है तो लौट की बिक्री तत्काल निरस्त कर दी जायेगी और क्रेता द्वारा हेतु समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी। चिन्हित समस्त छपे वृक्षो एवं कटे हुये प्रकाष्ठ/जलौनी पर वन निगम का स्वामित्व हो जायेगा। इसक अतिरिक्त वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी।

15. लौट के क्रेता को वृक्षों का पातन/कटान, आवश्यकतानुसार लापिंग आदि करने इस से करना होगा तार्कि लौट के समीपस्थ बिजली लाइन, टेलीफोन लाइन या भवनो आदि को क्षित न हो। लौट में काटे जा रहे वृक्षों से मार्ग पर चलने वाले वाहनो एवं राहगीरो आदि की सुरक्षा हेतु (आवश्यकतानुसार) लाल झण्डी का प्रयोग क्रेता को करना होगा। यदि लौट में वृक्षों के कटान से किसी व्यक्ति अथवा किसी सम्पत्ति की कोई क्षित होगी तो इसकी प्रतिपूर्ति क्रेता को करनी होगी।

16. क्रेता द्वारा नियमानुसार सुसंगत नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुये लौट में कार्यरत श्रमिको को

न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा।

17. क्रेता को लौट से माल निकासी वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन निगम के निर्धारित के अन्तर्गत वन निगम के निर्धारित प्रपत्र 4.5 में वन निगम के अधिकृत कर्मचारी द्वारा दी जायेगी। निकासी रवन्ना पर क्रेता अथवा क्रेता के अधिकृत एवं वाहन चालक को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। निकासी नियमानुसार सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच दी जायेगी। निकासी के समय नियमानुसार अभिवहन शुल्क भी क्रेता को देना होगा, निकासी हेतु लौट स्थल को ही ट्रान्जिट डिपो माना जायेगा।

(क्रमशः ०३ पर)

- 18. विक्रय सूची/कार्यादेश में अंकित समय सीमा-निर्धारित कार्य अविध के अन्तर्गत क्रेता को लौट (जॉब) के सभी चिन्हित वृक्षों का पातन/कटान एवं उत्पादित प्रकाष्ठ जलौनी आदि की निकासी करनी होगी। निकासी से पूर्व प्रकाष्ठ के बोटो पर वन निगम अपने स्वामित्व का घन चिन्ह लगायेगा। यदि क्रेता निर्धारित समय के अन्दर पातन/कटान व उत्पादित हुये प्रकाष्ठ/जलौनी की निकासी नहीं करेगा तो क्रेता के लिखित आवेदन पर उसे 15 दिनों का अतिरिक्त समय अनुमन्य हो सकता है, जिसके लिये क्रेता को लौट के कुल विक्रय मूल्य का 0.10 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अविध विस्तार शुल्क देना होगा। यदि इन अतिरिक्त 15 दिनों में भी क्रेता लौट का कार्य पूर्ण नहीं करता है तो छप वृक्षो एवं उत्पादित समस्त प्रकाष्ठ/जलौनी पर वन निगम का स्वामित्व हो जायेगा जिसका निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
- 19. लौट की कार्यसमाप्ति के बाद क्रेता द्वारा इसकी लिखित सूचना सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक को दी जायेगी। तदुपरान्त नियमानुसार कार्य सम्पन्न होने की दशा में क्रेता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम सहित सम्बन्धित सुसंगत नियमो एवं प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
- 20. क्रेता पर किसी भी प्रकार की बकाया वसूली क्रेता से भू-राजस्व के रूप में की जा सकती है।
- 21. लौट का कार्य निर्धारित प्रक्रियानुसार एवं संतोषजनक सम्पन्न होने के उपरान्त जमा जमानत वापस/समायोजित की जायेगी।
- 22. क्रेता एवं प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक के मध्य विवाद उत्पन्न होने पर सम्बन्धित **"क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तराखण्ड वन विकास निगम**" पंच निर्णायक होंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा जो दोनो पक्षों का मान्य होगा।

प्रभारम्भागिरि विक्रीय प्रबन्धक उत्तर्शस्त्रश्रात्वण्ड वन विकास निगम इल्ह्यानी हल्ह्यानी।

	-	नीलाम	तिथि-20-01-2	025		नीलाम र	स्थान – लालकु३	गॅ डिपो सं० ०	1	
			राय	ल्टी पेड़ खतर	नाक खडे					
क्रम स₀	वन विकास निगम की लौट	वन विभाग की लौट सं0	वन प्रभाग	राजि का नाम	लौगिंग प्रभाग का नाम	प्रजाति	नपत (से०मी०)	कुल वृक्ष	ठोस आयतन (सी०सी०एफ०)	अनुमानित आयतन (घ०मी०)
1	51/24-25	15/24-25	रानीखेत	राजकीय प्राथमिक विद्यालय वमस्यू, परिसर	लौगिंग प्रभाग नैनीताल	यू०के०	30-70	6	1.3590	1.1230
2	110/24-25	13/24-25	उत्तरी गौला	मोहन बाजार मुक्तेश्वर, ग्राम पंचायत दाड़िमा	मुक्तेश्वर, लौगिंग प्रभाग ग्राम पंचायत नैनीताल		90-up	1	7.0800	3.5400
3	111/24-25	71/24-25	रानीखेत	द्वारसों द्वितीय बीट कक्ष 17	लौगिंग प्रभाग नैनीताल	चीड़	70-80	1	5.6600	5.6600
4	92/24-25	07/24-25	मनोरा	इण्डो– डच मशरूम परियोजना, ज्योलीकोट	लौगिंग प्रभाग नैनीताल	तुन	56-60	1	2.7200	1.3600
						पीपल	70-up	3	8.7780	4.3890
						सिल्वर ओक	30-up	6	6.0610	3.0305
						कोकाट	50-up	4	5.2380	2.5740
						जामुन	90-up	1	3.8430	1.9215
						जलौनी	80-90	1	1.5570	0.7785
			TOTAL					16	28.1970	14.0535

SB

त्रियो अधिकारी चोड डिनो विकास उ० थन चिकास निगम हल्द्वानी

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड वन विकास निगम, विपणन प्रमाग, हल्द्वानी प्रकाष्ठ विकय डिपो लालकुआं डिपो संख्या–1

विकय सूची सी-1 जब्दी प्रकाष्ठ त॰ पू॰ वन प्रभाग वन प्रभाग

क्र0 सं0	वन विकास निगम की लौट संख्या	वन विमाग की लौट संख्या	वन प्रमाग	राजि का नाम	रेंज केस संख्या / जब्ती प्रकाष्ठ	प्रजाति	ग्रेड	नग	आयतन (घ०मी०)	प्रकाष्ट जहाँ रखा है, मीके पर जैसा है।	क्रेता का नाम	पूर्व इतिहास	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	12	13	
1		65/24-25	त॰ पू॰ वन प्रभाग	बारकोली वन क्षेत्र सितारगंज	17/21-22	साल लटठा	IV	3	0.5946	बमनपुरी वन परितर		20.11.200	
	433/24-25				22/10/2023	साल लटठा	IV	5	0.5868	सितारगंज वन परिसर		20.11.2024 新 40000	
					22/01/2023	साल लटठा	IV	2	0.6630	ढोलावन वन परिसर		में जमानत	
					53/23-24	साल लटठा	IV	8	0.2797	बमनपुरी पन परिवर		जमा जन्त	
						योग		18	2.1241				
2	434/24-25	66/24-25	त॰ पू॰ वन प्रभाग	बारकोली वन क्षेत्र सितारगंज	49/18-19	खैर लटठा	iv	7	0.4502	ढोलावन वन परिसर		20.11.202 को 1550 में जमान जमा जम	
					22/01/2023	जामुन लटठा	IV	2	0.3640	ढोलावन वन परिसर			
\neg						योग		9	0.8142				
\dashv												1	

1- लॉट का प्रकाष्ठ मौके पर कर्मचारी बतलायेगा।

' 2– प्रकाष्ठ की नपत छाल सहित है, प्रकाष्ठ की नपत में अन्तर हेतु विमाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3- प्रकाष्ठ खुले आसमान के नीचे पडा होने के कारण छतिग्रस्त हो रहा है।

4- प्रकाष्ठ जहाँ है जैसा है उसी स्थिति में लेना होगा।

हिपा अधिकारी री लालकुआं दिगे संस्माना निगम उत्तराखण्ड वं निगमें सिंग सं-1

		विकय सूची निलाम तिथि				(लालव						
	रायल्टी पेड खतरनाक खड़े बृक्षों का नीलाम											
क्र 0 सं0	वन विकास निगम की लौट संख्या	The state of the s	वन प्रमाग	राजि का नाम	लौगिंग प्रभाग का नाम	प्रजाति	नपत्त (सेमी०)	कुल बृक्ष	अनुमानित आयतन (घ०मी०)	लौट का विवरण		
1	699/24-25	188/24-25	तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी	गौता राजि	पूर्वी हल्द्वानी लौगिंग प्रभाग	खैर सूखा खड़ा	60-70	1	1.8250	हल्द्वानी स्टोन कम्पनी के सामने		

द्विमा अधिकारी लालकुआं डिपावंसीस्पनिगम उत्तराखण्ड वन विकास्पनिगम लालकुआँ डिपो सं-1

